<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।</u>

<u>उपस्थित– हिमानी गौतम (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)</u>

<u>J.O. No. UP 4850</u>

<u>परिवाद संख्याः– 1115/2015</u>

<u>अनिल कुमार बनाम शारदा प्रसाद आदि।</u>

<u>थानाः– बिहार, जनपदः– उन्नाव।</u>

<u>दिनांकः– 02/06/2026</u>

पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर परिवादी अनुपस्थित तथा प्रतिवादी उपस्थित।

पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से दर्शित होता है कि परिवादी द्वारा अन्तर्गत धारा 244 दं०प्र०सं० कोई साक्ष्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण दिनांक 18/07/2025 को परिवादी का साक्ष्य समाप्त किया गया। परिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी परिवादी द्वारा कोई साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिस कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप विरचित किये जाने का कोई आधार नहीं है। प्रश्नगत मामले में अभियुक्तगण को उन्मोचित किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण को अन्तर्गत धारा 245 दं०प्र०सं० उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

<u>दिनांकः– 02/06/2026</u>

(हिमानी गौतम)
आई०डी० यू०पी० 4850
न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।